रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 644] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2019/माघ 17, 1940
No. 644] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2019/MAGHA 17, 1940

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

का.आ. 762**(अ)**.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ अड़तालीसवां संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(1) प्रथम अनुसूची में, "1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,-

(क) "(iii) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग" उप-शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) पशुपालन और डेयरी विभाग";

(ख) इस प्रकार रखे गए "(iii) पशुपालन और डेयरी विभाग" उप शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित उप शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) मत्स्यपालन विभाग";

(2) द्वितीय अनुसूची में, "कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,-

(क) "ग. पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग" उप-शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**ग. पशुपालन और डेयरी विभाग**";

(ख) भाग I में, इस प्रकार रखे गए उप-शीर्षक (ग) के अधीन –

(i) प्रविष्टि 1 में, "पशुधन, मछली और पक्षी-दाना और डेयरी, मुर्गीपालन और मत्स्य उत्पादों" शब्दों के स्थान पर "पशुधन और पक्षी-दाना तथा डेयरी और मुर्गीपालन उत्पादों" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) प्रविष्टि 1 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"1क. पशुधन, डेयरी और मुर्गीपालन और इसके अवसंरचना विकास, विपणन, निर्यात तथा संस्थागत व्यवस्था आदि सहित सहयुक्त क्रियाकलापों का संवर्धन और विकास ।

1ख. पशुधन, डेयरी और मुर्गीपालन से संबंधित क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों का कल्याण।";

(iii) प्रविष्टि 2 में, "पशुधन, मुर्गीपालन और मछली पालन के विकास" शब्दों के स्थान पर "पशुधन और मुर्गीपालन के विकास" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) प्रविष्टियां 7 और 8 का लोप किया जाएगा;

(ग) भाग II की प्रविष्टि 10 में, "पशुओं, मछलियों व पक्षियों को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशक जीवों के" शब्दों के स्थान पर "पशुओं और पक्षियों को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशक जीवों के" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) भाग III में,-

(i) प्रविष्टि 13 में, "पशु, मछली और पक्षी" शब्दों के स्थान पर "पशु और पक्षी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) प्रविष्टि 15 में, "पशुधन, मछली और पक्षियों" शब्दों के स्थान पर "पशुधन और पक्षियों" शब्द रखे जाएंगे;

(ङ.) "ग. पशुपालन और डेयरी विभाग" उप-शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"घ. मत्स्यपालन विभाग

भाग-I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के अंतर्गत आते हैं:

1. वे उद्योग, जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक उनका संबंध मछली-दाना और मत्स्य उत्पादों के विकास से है, इस परिसीमा के साथ कि उद्योगों के विकास के संबंध में, मत्स्यपालन विभाग के कृत्य, मांगों के प्रतिपादन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों।

2. मछली पकड़ना और मछली पालन (अंतरदेशीय, सामुद्रिक तथा राज्यक्षेत्रीय सागर खंड के परे) और इसके अवसंरचना विकास, विपणन, निर्यात तथा संस्थागत व्यवस्था आदि सहित सहयुक्त क्रियाकलापों का संवर्धन और विकास ।

3. मछुआरों तथा अन्य मछुआरा समूह का कल्याण तथा उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाना ।

4. मछली पालन के विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क और सहयोग ।

5. मछली पालन सांख्यिकी ।

6. प्राकृतिक आपदाओं के कारण मछलीधन को हुए नुकसान संबंधी मामले।

7. मछलीधन आयात का विनियमन, करंतीन और प्रमाणीकरण ।

8. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई।

भाग-II

निम्नलिखित विषय, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III के अंतर्गत आते हैं (केवल विधान की बाबत):

9. मछलियों को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशक जीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण ।

10. राज्य अभिकरणों या सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, मछली पालन विकास स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता का स्वरूप ।

भाग-III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, उपर्युक्त भाग I और भाग II में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत आते हैं:

11. मछलीधन का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा मछली रोगों का निवारण, पशु-चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय ।

12. मछलीधन का बीमा ।" ।

राम नाथ कोविन्द

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/21/2018-मंत्रि.]

रचना शाह, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2019

S.O. 762(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Forty Eighth Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) in THE FIRST SCHEDULE, under the heading "1. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Krishi Evam Kisan Kalyan Mantralaya)",-

(a) for the sub-heading "(iii) Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (Pashupalan, Dairy aur Matsyapalan Vibhag)", the following sub-heading shall be substituted, namely:-

"(iii) Department of Animal Husbandry and Dairying (Pashupalan aur Dairy Vibhag)";

(b) after the sub-heading "(iii) Department of Animal Husbandry and Dairying (Pashupalan aur Dairy Vibhag)" as so substituted, the following sub-heading shall be inserted, namely:-

"(iv) Department of Fisheries (Matsyapalan Vibhag).";

(2) in THE SECOND SCHEDULE, under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (KRISHI EVAM KISAN KALYAN MANTRALAYA)", –

(a) for the sub-heading "C. DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES (PASHUPALAN, DAIRY AUR MATSYAPALAN VIBHAG)", the following sub-heading shall be substituted, namely:-

"C. DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (PASHUPALAN AUR DAIRY VIBHAG)";

(b) in PART I under the sub-heading (C) as so substituted-

(i) in entry 1, for the words "Livestock, fish and birds feed and dairy, poultry and fish products", the words "Livestock and birds feed and dairy and poultry products" shall be substituted;

(ii) after entry 1, the following entries shall be inserted, namely:–

"1A. Promotion and Development of Livestock, Dairy and Poultry and its associated activities, including infrastructure development, Marketing, Exports and institutional arrangements etc.

1B. Welfare of persons engaged in activities relating to livestock, Dairy and Poultry.";

(iii) in entry 2, for the words "livestock, poultry and fisheries development", the words "livestock and poultry development" shall be substituted;

(iv) the entries 7 and 8 shall be omitted;

(c) in PART II, in entry 10, for the words "or infectious or contagious diseases or pests affecting animals, fish and birds", the words "of infectious or contagious diseases or pests affecting animals and birds" shall be substituted;

(d) in PART III,-

(i) in entry 13, for the words "animals, fish and birds", the words "animals and birds" shall be substituted;

(ii) in entry 15, for the words "livestock, fish and birds", the words "livestock and birds" shall be substituted.

(e) after the sub-heading "C. DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (PASHUPALAN AUR DAIRY VIBHAG)", and the entries relating thereto, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:–

"D. DEPARTMENT OF FISHERIES (MATSYAPALAN VIBHAG)

PART I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

1. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in Public interest as far as these relate to Development of fish feed and fish products with the limitation that in regard to the development of industries, the functions of the Department of Fisheries do not go further than the formulation of the demand and fixation of targets.
2. Promotion and development of Fishing and Fisheries (inland, marine and beyond territorial waters) and its associated activities, including infrastructure development, Marketing, Exports, and institutional arrangements etc.
3. Welfare of Fishermen and other Fisher-folk and strengthening of their livelihoods.
4. Liaison and cooperation with international organizations in matters relating to fisheries development.
5. Fisheries Statistics.
6. Matters relating to loss of fish stock due to natural calamities.
7. Regulation of fish stock importation, Quarantine and Certification.
8. Fishery Survey of India, Mumbai.

PART II

The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only):

9. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting fish.

10. Pattern of financial assistance to various State Undertakings, Fisheries Development Schemes through State agencies/Co-operative Unions.

PART III

For the Union Territories the subjects mentioned in Parts I and II above, so far as they exist in regard to these territories and, in addition, to the following subjects which fall within List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

11. Preservation, protection and improvement of fish stocks and prevention of diseases thereof, Veterinary training and practice.

12. Insurance of fish stock.".

RAM NATH KOVIND

PRESIDENT

[F. No. 1/21/21/2018-Cab.]

RACHNA SHAH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.07 08:56:54 +05'30'